भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.1094

13 दिसंबर, 2022 को उत्तरार्थ

विषय: किसानों की आय

1094. श्री रामशिरोमणि वर्मा:

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में किसानों की दुर्दशा की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उनकी आय में वृद्धि करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए जा रहे हैं और इस दिशा में अब तक क्या प्रगति की गई है;

(ङ) क्या सरकार का अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत सभी कृषि भूमि धारकों को 3000/- रुपये की राशि प्रदान करने का विचार है; और

(च) क्या कृषि क्षेत्र की विकास दर देश की अर्थव्यवस्था की विकास दर से कम है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (घ): किसानों की आय को बढ़ाने के लिए सरकार के प्रयासों के बहुत सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। इस संबंध में, सरकार ने "किसानों की आय दोगुनी करने (डीएफआई)" से संबंधित मुद्दों की जांच करने और इसे प्राप्त करने के लिए रणनीतियों की सिफारिश करने की दृष्टि से अप्रैल, 2016 में एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया था। इस समिति ने सितंबर, 2018 में सरकार को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपी, जिसमें विभिन्न नीतियों, सुधारों और कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों की आय को दोगुना करने की रणनीति शामिल थी। इस कार्यनीति के अनुसार, सरकार ने किसानों के लिए उच्च आय प्राप्त करने के लिए कई विकासात्मक कार्यक्रमों, योजनाओं, सुधारों, नीतियों को अपनाया और कार्यान्वित किया है। इनमें शामिल हैं:

1. **बजट आवंटन में अभूतपूर्व वृद्धि**

वर्ष 2015-16 में, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (डेयर, डीएएचए एंड एफ सहित) के लिए बजट आवंटन केवल **25460.51** करोड़ रुपये था। इसे वर्ष 2022-23 में **5.44** गुना से अधिक बढ़ाकर **1,38,550.93 करोड़ रुपये** कर दिया गया है।

2. **पीएम किसान के माध्यम से किसानों को आय सहायता**

   वर्ष 2019 में पीएम-किसान का शुभारंभ - यह 3 समान किस्तों में प्रति वर्ष 6000 रुपये प्रदान करने वाली एक आय सहायता योजना है। अब तक लगभग **11.3** करोड़ पात्र किसान परिवारों को **2 लाख करोड़** रुपये से अधिक धनराशि जारी की गई है।

3. **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)**

   छह वर्ष - वर्ष 2016 में पीएमएफबीवाई को किसानों के लिए उच्च प्रीमियम दरों और कैपिंग के कारण बीमा राशि में कमी की समस्याओं का समाधान करने हेतु शुरू किया गया था। क्रियान्वयन के पिछले 6 वर्षों में - 38 करोड़ किसान आवेदकों को नामांकित किया गया है और 11.73 करोड़ से अधिक (अनंतिम) किसान आवेदन प्राप्त हुए हैं। इस अवधि के दौरान किसानों द्वारा उनके प्रीमियम के रूप में लगभग 25,185 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था जिसकी तुलना में उन्हें 1,24,223 करोड़ रुपये (अनंतिम) से अधिक के दावों का भुगतान किया गया है। इस प्रकार किसानों द्वारा भुगतान किए गए प्रत्येक 100 रुपये के प्रीमियम के लिए, उन्हें दावों के रूप में लगभग 493 रुपये प्राप्त हुए हैं।

4. **कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण**

   (i) वर्ष 2015-16 में 8.5 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2022-23 में 18.5 लाख करोड़ रुपये करने का लक्ष्य रखा गया है।

   (ii) केसीसी के माध्यम से अब पशुपालन और मत्स्य पालन करने वाले किसानों को भी उनकी अल्पकालिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रति वर्ष 4% ब्याज पर रियायती संस्थागत ऋण का लाभ प्रदान किया जाता है।

   (iii) किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से सभी पीएम-किसान लाभार्थियों को कवर करते हुए रियायती संस्थागत ऋण प्रदान करने के लिए फरवरी 2020 से एक विशेष अभियान चलाया गया है। दिनांक 11.11.2022 की स्थिति के अनुसार, इस अभियान के हिस्से के रूप में 4,33,426 करोड़ रुपये की स्वीकृत ऋण सीमा के साथ 376.97 लाख नए केसीसी आवेदनों को मंजूरी दी गई है।

5. न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को उत्पादन लागत का डेढ़ गुना तय करना -

(i) सरकार ने वर्ष 2018-19 से अखिल भारतीय वाहित औसत उत्पादन लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत के प्रतिफल के साथ सभी अनिवार्य खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि की है।

(ii) धान (सामान्य) के लिए एमएसपी को वर्ष 2013-14 में 1310 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर वर्ष 2022-23 में 2040 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है।

(iii) गेहूं के एमएसपी को वर्ष 2013-14 में 1400 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर वर्ष 2022-23 में 2125 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया।

6. **देश में जैविक खेती को बढ़ावा देना**

i देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2015-16 में परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) शुरू की गई थी। 32384 क्लस्टर गठित किए गए हैं और 6.53 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है जिससे 16.19 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। इसके अतिरिक्त नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत 123620 हेक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया और प्राकृतिक खेती के अंतर्गत 4.09 लाख हेक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड के किसानों ने नदी जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के साथ-साथ अतिरिक्त आय प्राप्त करने के लिए गंगा नदी के दोनों ओर जैविक खेती शुरू की है।

ii सरकार का भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति (बीपीकेपी) योजना के माध्यम से सतत प्राकृतिक कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देने का भी प्रस्ताव है। प्रस्तावित योजना का उद्देश्य खेती की लागत में कटौती करना, किसानों की आय में वृद्धि करना और संसाधन संरक्षण और सुरक्षित एवं स्वस्थ मृदा, पर्यावरण और भोजन सुनिश्चित करना है।

iii पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर) शुरू किया गया है। इसके तहत 379 किसान उत्पादक कंपनियों का गठन किया गया है जिसमें 189039 किसान शामिल हैं और 172966 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है।

7. **प्रति बूंद अधिक फसल**

प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) योजना वर्ष 2015-16 के में शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकियों अर्थात ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता में वृद्धि करना और उत्पादकता में वृद्धि करना है। वर्ष 2015-16 से अब तक पीडीएमसी योजना के माध्यम से 69.55 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के तहत कवर किया गया है।

8. **सूक्ष्म सिंचाई कोष**

नाबार्ड के साथ 5000 करोड़ रुपये की प्रारंभिक निधि का एक सूक्ष्म सिंचाई कोष बनाया गया है। वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा में इस कोष में निधियों की मात्रा को

बढ़ाकर 10000 करोड़ रुपये किया जाना है। इसके तहत 17.09 लाख हेक्टेयर क्षेत्रों को कवर करने वाली 4710.96 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

9. किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) का संवर्धन

i माननीय प्रधानमंत्री जी ने **दिनांक 29 फरवरी, 2020 को वर्ष 2027-28** तक 6865 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ नए 10,000 एफपीओ के गठन और संवर्धन के लिए एक नई केंद्रीय क्षेत्र की योजना शुरू की गई है।

ii दिनांक 30.11.2022 के अनुसार नई एफपीओ योजना के अन्तर्गत 4029 एफपीओ पंजीकृतकिए गए है।

iii दिनांक 30.11.2022 तक 1415 एफपीओ को 53.4 करोड़ रुपये का इक्विटी अनुदान जारी किया जा चुका है।

10. वर्ष 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के भाग के रूप में **राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन (एनबीएचएम)** शुरू किया गया है ताकि परागण के माध्यम से फसल उत्पादकता में वृद्धि की जा सके और आय के अतिरिक्त स्रोत के रूप में शहद उत्पादन में वृद्धि की जा सके। मधुमक्खी पालन क्षेत्र के लिए वर्ष 2020-2021 से 2022-2023 की अवधि के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। वर्ष **2020-21 और 2021-22** के दौरान अब तक एनबीएचएम के तहत वित्त पोषण हेतु लगभग 139.23 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान करते हुए 114 परियोजनाएं अनुमोदित/स्वीकृत की गई हैं।

11. कृषि यंत्रीकरण

कृषि को आधुनिक बनाने और कृषि कार्यों में कठोर श्रम को कम करने के लिए कृषि यंत्रीकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्ष 2014-15 से मार्च, 2022 की अवधि के दौरान कृषि यंत्रीकरण के लिए 5490.82 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। किसानों को राजसहायता आधार पर 13,88,314 मशीनें और उपकरण प्रदान किए गए हैं। किसानों को किराये पर कृषि मशीनें और उपकरण उपलब्ध कराने के लिए 18,824 कस्टम हायरिंग केंद्र, 403 हाई-टेक हब और 16,791 फार्म मशीनरी बैंक स्थापित किए गए हैं। वर्तमान वर्ष अर्थात 2022-23 के दौरान अब तक राजसहायता पर लगभग 65302 मशीनों के वितरण, 2804 सीएचसी, 12 हाईटेक हब और 1260 ग्राम स्तरीय फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना के लिए 504.43 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

12.**किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराना**

पोषक तत्वों के इष्टतम उपयोग के लिए वर्ष 2014-15 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की गई थी। किसानों को निम्नलिखित संख्या में कार्ड जारी किए गए हैं।

i. चक्र-I (2015 से 2017) - 10.74 करोड़

ii. चक्र-।। (2017 से 2019) - 11.97 करोड़
iii. मॉडल ग्राम कार्यक्रम (2019-20) - 19.64 लाख

13. **राष्ट्रीय कृषि विपणन विस्तार मंच की स्थापना**

(i) 22 राज्यों और 03 संघ राज्य क्षेत्रों की 1260 मंडियों को ई-नाम प्लेटफार्म से जोड़ा गया है।

(ii) दिनांक 31.10.2022 की स्थिति के अनुसार, ई-नाम पोर्टल पर 1.74 करोड़ से अधिक किसानों और 2.36 लाख व्यापारियों को पंजीकृत किया गया है।

(iii) दिनांक 31.10.2022 की स्थिति के अनुसार, ई-नाम प्लेटफॉर्म पर लगभग 2.22 लाख करोड़ रूपए के मूल्य वाली कुल 6.5 करोड़ मीट्रिक टन मात्रा व 19.24 करोड़ (बांस, पान के पत्ते, नारियल, नींबू और स्वीट कॉर्न) का सामूहिक रूप से व्यापार दर्ज किया गया है।

14. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन - ऑयल पाम - एनएमईओ के शुभारंभ को 11,040 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया है। इससे अगले 5 वर्षों में पूर्वोत्तर राज्यों में 3.28 लाख हेक्टेयर और शेष भारत में 3.22 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ऑयल पाम वृक्षारोपण के तहत 6.5 लाख हेक्टेयर का अतिरिक्त क्षेत्र शामिल किया जाएगा। यह मिशन उद्योग द्वारा सुनिश्चित खरीद से जुड़े किसानों को सरल मूल्य निर्धारण सूत्र के साथ ताजे फलों के गुच्छों (एफएफबी) के व्यवहारिक मूल्य प्रदान करने पर केंद्रित है। यदि उद्योग द्वारा भुगतान की गई कीमत अक्टूबर, 2037 तक व्यवहार्यता मूल्य से कम रहती है तो केंद्र सरकार व्यवहारिक भावांतर भुगतान के माध्यम से किसानों को मुआवजा देगी है।

15.कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ)

विशेष रूप में 100,000 करोड़ रुपये के बजट के साथ कृषि अवसरंचना कोष का गठन किया गया वर्ष 2020 में एआईएफ की स्थापना से, इस योजना ने 18133 से अधिक परियोजनाओं के लिए देश में 13681 करोड़ रुपये के कृषि अवसंरचना को मंजूरी दी है। इस योजना की सहायता से विभिन्न कृषि अवसंरचनाओं का सृजन किया गया है और कुछ अवसंरचना पूरी होने के अंतिम चरण में हैं। इन अवसंरचना में 8076 गोदाम, 2788 प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयां, 1860 कस्टम हायरिंग केंद्र, 937 छंटाई और ग्रेडिंग इकाइयां, 696 शीतागार परियोजनाएं, 163 परख इकाइयां और लगभग 3613 अन्य प्रकार की फसलोपरांत प्रबंधन परियोजनाएं तथा सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियां शामिल हैं।

16. कृषि उपज संभारततंत्र में सुधार, किसान रेल की शुरूआत

रेल मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से जल्द खराब होने वाली कृषि वस्तुओं की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए किसान रेल शुरू की गई है। पहली किसान रेल जुलाई, 2020 में शुरू की गई थी। दिनांक 31 अक्टूबर, 2022 तक 167 मार्गों पर 2359 किसान रेल सेवाएं संचालित की गई हैं।

17. एमआईडीएच - क्लस्टर विकास कार्यक्रम:

क्लस्टर विकास कार्यक्रम (सीडीपी) को बागवानी समूहों की भौगोलिक विशेषज्ञता का लाभ उठाने और उत्पादन पूर्व, उत्पादन, फसलोपरांत, रसद, ब्रांडिंग और विपणन गतिविधियों के एकीकृत और बाजार-आधारित विकास को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (डीएएंडएफडब्ल्यू) ने 55 बागवानी समूहों की पहचान की है, जिनमें से 12 को सीडीपी के प्रायोगिक चरण के लिए चुना गया है।

18. कृषि और संबद्ध क्षेत्र में स्टार्ट-अप व्यवस्था का निर्माण

अब तक, वित्त वर्ष 2019-20 से 2022-23 के दौरान डीएएंडएफडब्ल्यू के ज्ञान भागीदारों और कृषि व्यवसाय इनक्यूबेटरों द्वारा 1055 स्टार्टअप का अंतिम रूप से चयन किया गया है। डीएएंडएफडब्ल्यू द्वारा सहायता अनुदान सहायता के रूप में संबंधित ज्ञान साझेदारों (केपी) और आरकेवीवाई-रफ्तार कृषि व्यवसाय इंक्यूबेटर (आर-एबीआई) को इन स्टार्टअप को वित्त पोषण के लिए कुल 6317.91 लाख रुपये की अनुदान सहायता जारी की गई है।

19. कृषि और संबद्ध कृषि-वस्तुओं के निर्यात में उपलब्धि

देश में कृषि और संबद्ध वस्तुओं के निर्यात में जोरदार वृद्धि देखी गई है। वर्ष 2015-16 की तुलना में, कृषि और संबद्ध क्षेत्र में निर्यात वर्ष 2015-16 के 32.81 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 50.24 बिलियन अमरीकी डालर हो गया है अर्थात 53.1% की वृद्धि हुई है।

(ङ) : सरकार ने कुछ विशिष्ठ धाराओं खंडों के अध्यधीन देश के सभी छोटे और सीमांत किसानों (एसएमएफ) के लिए एक पेंशन योजना प्रधान मंत्री किसान मान-धन योजना क्रियान्वित की है। इस योजना में नामांकित किसानों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर प्रति माह 3,000 रुपये की न्यूनतम निश्चित पेंशन के भुगतान का प्रावधान है। इस योजना के लिए 18-40 वर्ष की आयु वर्ग के पात्र किसानों द्वारा भारत सरकार द्वारा समान योगदान के साथ मासिक योगदान की आवश्यकता होती है, जिसमें भारत सरकार का समान योगदान होता है। दिनांक 30.11.2022 तक, देश भर में इस योजना के तहत कुल 23,26,116 किसानों को नामांकित किया गया है।

(च): देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के संयुक्त प्रदर्शन का परिणाम है। आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2021-22 के अनुसार, कृषि क्षेत्र ने पिछले दो वर्षों में उत्साहजनक वद्धि का अनुभव किया है। कार्यबल का सबसे बड़ा नियोक्ता इस क्षेत्र का देश के सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) में 18.8 प्रतिशत (वर्ष 2021-22) का योगदान है, जिसमें वर्ष 2020-21 में 3.6 प्रतिशत और वर्ष 2021-22 में 3.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। पशुधन, डेयरी और मत्स्य पालन सहित संबद्ध क्षेत्रों में वद्धि इस क्षेत्र में समग्र विकास का प्रमुख चालक रहे हैं। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन सहित संबद्ध क्षेत्र तेजी से उच्च विकास वाले क्षेत्रों के रूप में उभर रहे हैं। पशुधन क्षेत्र वर्ष 2019-20 को समाप्त होने वाले पिछले पांच वर्षों में 8.15 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़ा है। भारत की वास्तविक जीडीपी वर्ष 2021-22 और 2022-23 दोनों में 9 प्रतिशत और वर्ष 2023-24 में 7.1 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है। यह भारत को इन तीन वर्षों में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में पेश करता है।

****